


न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

फर्द अहकाम

गठनाथ ..... बनाम ..... श्रीमती तुलसी  
किस्म मुकदमा ..... 223 ..... नंबर ..... 4 ..... सन् ..... 2023.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	<p>पुनश्च:-</p> <p>राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा प्रस्तुत अपील का निर्णय दि.20.2.25 में उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर का निर्णय दि. 22.4.2016 (प्रारंभिक डिक्री) एवं भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील अधिकारी का निर्णय दि.15.1.2018 अपास्त कर दिया है। विवादित आराजी में वादीया को 1/3, प्रतिवादी स. 1 से 5 को 1/3 व प्रतिवादी स. 6 से 9 को 1/3 हिस्से का खातेदार काशतकार घोषित किया गया है। अतः माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय की पालना यह अपील इसी स्तर पर स्वीकार की जाकर न्यायालय हाजा में उपखंड अधिकारी डूंगरपुर द्वारा जारी अंतिम डिक्री दि. 12.8.2016 अपास्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिपेक्षित कर निर्देश दिया जाता है की माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित उक्त निर्णय की पालना में पुनः तहसीलदार डूंगरपुर से पक्षकारो की उपस्थिती में पुनः फर्द बटवारा तैयार करवा कर उसके आधार पर पुनः नये सिरे से अंतिम डिक्री जारी करे। राजस्व मण्डल के निर्णय की प्रति उपखण्ड अधिकारी डूंगरपुर को राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय के साथ सलग्न कार भिजवाई जा रही है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। आदेश सुनाया गया।</p>	

  
भू-प्रबन्ध अधिकारी  
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
उदयपुर

